न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी: पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 114/2008
उनवान मुकदमा

1. स्व. हरदु पिता मंगला के वारसान :–
1/1 कालु पिता स्व. श्री हरदु, जाति भील, आयु 51 वर्ष निवासी कांकराडूंगरी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. भीखा पिता मलिया, जाति भील, आयु 50 वर्ष।
3. गौतम पिता पूंजा, जाति भील, आयु 55 वर्ष।
4. मगन पिता पूंजा, जाति भील, आयु 50 वर्ष।
निवासीयान कांकराडूंगरी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

वादीगण

बनाम

1. मानेंग पिता धूलिया, जाति भील, उम्र वयस्क।
2. राजेंग पिता धूलिया, जाति भील, उम्र वयस्क।
3. धनजी पिता नारजी, जाति भील, उम्र वयस्क।
4. लालु पिता नारजी, जाति भील, उम्र वयस्क।
5. मकन पिता नारजी, जाति भील, उम्र वयस्क।
6. प्रेम पिता नारजी, जाति भील, उम्र वयस्क।
7. हुका पिता नारजी, जाति भील, उम्र वयस्क।
8. मीरा बेवा नारजी, जाति भील, उम्र वयस्क।
9. हरदार पिता जोखिया, जाति भील उम्र वयस्क।
10. मोती पिता जोखिया, जाति भील उम्र वयस्क।
11. हकरू पिता जोखिया, जाति भील उम्र वयस्क।
12. धुलजी पिता जोखिया, जाति भील उम्र वयस्क।
13. नगजी पिता केरेंग, जाति भील उम्र वयस्क।
14. रकीया पिता केरेंग, जाति भील उम्र वयस्क।
15. हिरिया पिता केरेंग, जाति भील उम्र वयस्क।
16. तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वादी वकील : श्री यशपाल गुप्ता
प्रतिवादी वकील श्री राजेन्द्र जैन, श्री राजेन्द्र पाटीदार

निर्णय

दिनांक :–15–03–2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88,53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है । प्रस्तुत वाद में वादी संख्या 1 के पिता व 2, 3, 4 के दादा मंगला वल्द हबला के नाम व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के दादा, 3 के पिता व 4, 5, 6, 7, 8 के दादा नागजी वल्द वसीया के नाम संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त का खाता संख्या 75 के खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा लगानी 8.49 रूपया वाके ग्राम नवा[illegible] हल्का नवागांव तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है, जो सेटलमेन्ट रेकार्ड में दर्ज है एवं [illegible] खाता संख्या [illegible] नया व 125 पुराना के खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा लगान 8.49 [illegible] वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज रेकार्ड है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण [illegible] काश्त कर रहे लगान अदा कर रहे है एवं वर्तमान में भी वादीगण व प्रतिवादीगण [illegible] संयुक्त कब्जाकाश्त मौजूद है। वादीगण व प्रतिवादीगण की विस्तृत वंशावली निम्नानुसार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:00:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

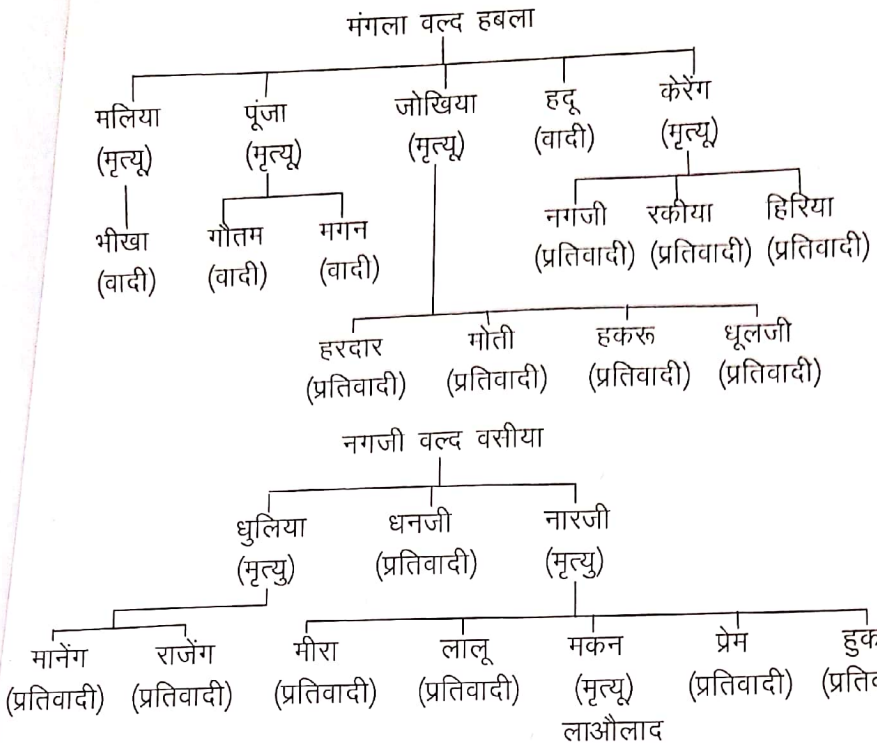

प्रतिवादी संख्या 1, 2 के दादा, 3 के पिता व 4, 5, 6, 7, 8 के दादा नागजी वल्द वसीया द्वारा बिना किसी आदेश के रेवेन्यू अधिकारियों से मिलकर उक्त खाता At the back of the party उक्त खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा अपने खाते में दर्ज करा लिया जा अवैध होकर काबिल निरस्ती के है।

नागजी वल्द वसीया की मृत्यु पर उक्त खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा नागजी के वारीसान धूलिया, धनजी, नारजी, के नाम दर्ज रेकार्ड किया गया। जबकि मौके पर वादीगण काबीज थे एवं उसके उपरांत नारजी की मृत्यु पर उक्त खाता लालु, मकन, प्रेम हुका व मीरा प्रतिवादीगण 4 से लगायत 8 व प्रतिवादी संख्या 3 व स्व. धूलिया के नाम दर्ज रेकार्ड किया गया है व धूलिया की मृत्यु पर जरिये नामान्तरकरण 646 दिनांक 29.12.1995 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 के साथ खाते में दर्ज किया गया जो अवैध व विधि विरूद्ध होकर काबील निरस्ती के है क्योंकि मौके पर वादीगण मूल खातेदार मंगला वल्द हबला के वारिसान होकर खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा के 1/2 भाग केमालिक, स्वामी व काबीज होकर काश्त कर रहे है एवं लगान अदा कर रहे है जबकि मंगला वल्द हबला की मृत्यु पर उक्त खाता मंगला के वारिसान वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड करना कानूनन आवश्यक था एवं वादीगण खसरा संख्या 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा के सहखातेदार घोषित होने के पात्र है एवं उक्त खसरा प्रतिवादीगण 1 से लगायत 8 के खाता संख्या 181 नया 125 पुराना में जो दर्ज किया गया है में वादीगण को प्रतिवादीगण 1 से लगायत 8 के साथ सहखातेदार घोषित घोषित करने हेतु उक्त वाद हस्ब दफा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बाबत सहखातेदार घोषित करने हेतु प्रस्तुत है।

प्रतिवादीगण 1 से 8 आये दिन वादीगण को शांतिपूर्ण काश्त में बाधा उत्पन्न करते है एवं धमकी देते है कि खाता हमारे नाम है खेत छोडकर चले जाना। जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण 1 से लगायत 8 को माह अगस्त 2008 में प्रतिवादीगण 1 से 8 के साथ खाते में वादीगण का नाम इन्द्राज करने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादीगण 1 से लगायत 8 भडक गये एवं कहने लगे कि तुम्हें हम खेती नही करने देगें। जिस पर गांव के लोगों द्वारा काफी [illegible] समझाईश की उसके बाद भी प्रतिवादीगण 1 से 8 नही मान रहे है एवं कभी भी वादीगण [illegible] नं. 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा जोर जबरदस्ती बेदखल कर अतिक्रमण [illegible] क्षति होगी जिसका रूपयों में मूल्यांकन नही हो सकेगा। [illegible] प्रथम दृष्टया प्रक[illegible] कब्जा मौके पर वादीगण का है एवं वादीगण प्रतिवादीगण 1 से लगायत 8 के साथ संयुक्त रूप से काबीज होकर काश्त कर रहे है। जिस कारण प्रतिवादीगण 1 से लगायत 8 को वादीगण की शांतिपूर्ण [illegible]त में बाधा व रूकावट उत्पन्न न करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करना आवश्यक है। जिस हेतु उक्त वाद अन्तर्गत 188 आर. टी. एक्ट में बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 से 8 के जारी करने हेतु प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:00:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

वादीगण कानूनन खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा के आधे भाग के अधिकारी है जिस विवादों की समाप्ति हेतु वादीगण का पृथक खाता कायम करना आवश्यक है एवं वादीगण का 1/2 का पृथक खाता कर लगान का विभाजन करने हेतु उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट बावत जन के प्रस्तुत है।

प्रतिवादीगण 9 लगायत 15 का उक्त कृषि भूमि में हक, हित, हिस्सा निहीत होने से वर्तमान में वह लब्ध न होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है।

वाद हेतु उक्त कृषि भूमि में वादीगण का नाम प्रतिवादीगण 1 से 8 के साथ जोडने हेतु वादीगण से निवेदन करने पर एवं वादीगण के कृषि कार्य में बाधा व रूकावट न करने व खाते का भाजन करने हेतु माह अगस्त 2008 में निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार करने व खेत छोड की धमकी देने व अदालत हाजा में उत्पन्न हुआ है।

बाद कार्यवाही जाप्त बहक वादीगण व प्रतिवादीगण निम्न अमर की डिक्री जारी करने निवेदन या है कि खाता संख्या 181 नया व 125 पुराना के खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा लगान 49 रू. वाके ग्राम नवागांव पटवार हल्का नवागांव तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) की भूमि में वादीगण प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 8 के साथ सहखातेदारी घोषणा की जावे। उक्त खसरा की कृषि भूमि का भाजन कर उनके 1/2 हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने व लगान का विभाजन किया जावे। तिवादी नम्बर 1 लगायत 8 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण के शांतिपूर्ण काश्त में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न न किया जावे।

फर्द दस्तावेज में जमाबन्दी सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट, जमाबन्दी 2041 से 44, जमाबन्दी 2029 से 2022, जमाबन्दी 2036 से 2039, खसरा संवत 2006 से 2009, खसरा संवत 2010 से 2013, खसरा संवत 2016, खसरा संवत 2018 से 2021, खसरा संवत 2022 से 2025, खसरा संवत 2025 से 2028, जमाबन्दी संवत 2060 प्रस्तुत किये है।

दिनांक 26.03.2010 को उपर्युक्त प्रकरण में वादीगण के वादपत्र का प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 की ओर से निम्नानुसार प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया कि :-

1. वाद पत्र की चरण संख्या 1 अस्वीकार है तथा वादी संख्या 1, 2, 3 व 4 के दादा मंगला वल्द हवला के साथ प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के दादा नागजी वल्द वसीया के नाम संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त का खाता संख्या 75 खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा वाके गांव नयागांव पटवार हल्का नयागांव तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित नही है, बल्कि उक्त खाता का एकमात्र स्वामी व अधिपति प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 के नाम दर्ज होकर राज्य सरकार में लगान अदा करते चले आ रहे है। वाद पत्र की वंशावली वादी सांबित करे।
2. वादी की चरण संख्या 2 अस्वीकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 का पृथक खाता होने से व मौके पर एकमात्र स्वामित्व व अधिपति के काबीज होने से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 से 15 को कोई कब्जा काश्त नही है एवं गलत रूप से अंकन होने की वजह से उक्त खाता अपने नाम दर्ज करवा रहे है जो कि गैर कानूनी होकर काबील खारजी योग्य है।
3. वादी पत्र की चरण संख्या 3 अस्वीकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 के पैतृक खाता नियमानुसार बहेसियत व उत्तराधिकारी विधि रूप से दर्ज किया गया है तथा उक्त खाते की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 काबजी होकर काश्त कर रहे है एवं राज्य सरकार में लगान भी अदा करते चले आ रहे है एवं वर्तमान में भी राज्य सरकार में लगान भी अदा करते चले आ रहे है एवं वर्तमान में भी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 ने उक्त आराजी में गेहूं की फसल वो दी है तथा मंगला वल्द हबला के वारिसान का आज दिन तक उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा गलत रूप से अंकन हो जाने का फायदा उठाकर सहखातेदार घोषित कराने का वाद पेश किया है जो कि काबील खारीज योग्य है तथा मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 से 15 का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है।
4. वाद पत्र की चरण संख्या 4 पूर्णतया बनावटी होकर मनगढ़न्त [illegible] वादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 का वादीगण के साथ या अन्य कि[illegible] हुआ है तथा मौके पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 का ही कब्जा [illegible] है तथा वादीगण जबरदस्ती प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 को बेदखल कर कृषि भूमि में व्यवधान पैदा कर रहे है तथा वादीगण का उक्त भूमि पर कोई भी कब्जा काश्त नहीं है। जिस[illegible] असीम क्षति होना प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना के तथ्य पूर्णतया झूठे व गलत साबित होते है एवं बिना कब्जे व बिना खातेदार के स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।
5. वाद पत्र की चरण संख्या 5 अस्वीकार है तथा वादीगण का उक्त आराजी पर आज दिन तक एवं उनके प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 का कोई भी खाता या कोई कृषि भूमि आज दिन तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:00:17 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]खण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

युक्त रूप से काश्त नहीं की है एवं न ही संयुक्त रूप से खाता है इस कारण वादीगण खाता 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विभाजन कराने की पात्रता नहीं रखते है।

वादपत्र की चरण संख्या 6 अस्वीकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 की कृषि भूमि हिन होने के उद्देश्य से वादीगण न मनगढ़न्त आधार पर वारिसों के नाम की सूची बनाकर पक्षकार बनाने का प्रयास किया है जो गैर कानूनी होकर काबिल खारीज योग्य है।

वादी पत्र की चरण संख्या 7 अस्वीकार है तथा वादीगण का आज दिन तक उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा बिना कब्जे व किसी वैधानिक अधिकार के प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 को बेदखल करने का प्रयास कर तथा मनगढ़न्त आधार बनाकर वाद कारण उत्पन्न किया है जो काबिल खारीज योग्य है।

8. वाद चरण संख्या 8 कानूनी है।

9. प्रतिवादी नं. 16 राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा उक्त वाद पत्र के बिना आधार के उन्हे पक्षकार बनाया है। इस कारण उन्हें पक्षकार बनाने से पूर्व धारा80 सीपीसी का नोटिस देना आवश्यक था।

10.वाद चरण संख्या 10, 11, 12 वादीगण साबित करे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 ने काउन्टर सूट जवाब के साथ प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है –

1. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 के पैतृक खाता संख्या 181 नया 125 पुराना के खसरा नम्बर 955 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा लगान 8.49 रू. वाके ग्राम नयागांव पटवार हल्का नयागांव तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 उक्त कृषि भूमि पर काबीज होकर काश्त कर रहे है एवं राज्य सरकार में लगान भी अदा करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 ने गेहूं की फसल उक्त काश्त भूमि पर बो रखी है।
2. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 का उक्त कृषि भूमि में हक, हित हिस्सा निहीत है। इसके अलावा कोई भी उक्त भूमि पर काबीज नहीं है।
3. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 के दादा नागजी वल्द वसीया के नाम से उक्त आराजी चली आ रही है तथा गलत रूप से अंकन का आधा बताकर वादीगण उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 को बेदखल करने के उद्देश्य से झगड़ा फसाद कर रहे है तथा आये दिन झूठे प्रकरण दर्ज कराने की धमकीयां दे रहे है तथा काश्त भूमि में व्यवधान व रूकावट पैदा करने के कारण प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 को असीम क्षति हो रही है। जिसका मूल्यांकन रूपयों में संभव नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाया जाता है व सुविधा संतुलन भी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 के पक्ष में है। अतः धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवाद (काउन्टर सूट) पेश है।
4. वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 से 15 तक का आज दिन तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा कानूनी तौर पर भी धारा 63 (4) आरटीएक्ट के तहत भी अधिकार का अवशान हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 उक्त भूमि के एकमात्र खातेदार काश्त होकर खातेदारी की पात्रता रखते है।
5. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 के कब्जे काश्त की भूमि में वादीगण बेदखल करने का प्रयास करने से एवं स्वत्व की चुनोती देने से प्रतिवादी कारण लगातार रूप से उत्पन्न हो रहा है।

वाद कार्यवाही वादीगण का वाद निरस्त करावे तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 का प्रतिदावा स्वीकार कर निम्न आशय की डिक्री चाही है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 के पैतृक खाता संख्या 181 नया 125 पुराना के खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा लगान 8.49 रू. वाके ग्राम नयागांव पटवार हल्का नयागांव तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) की कृषि भूमि में वादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 की काश्त भूमि में बाधा [illegible] किसी से करावे तथा धारा 209 आरटीएक्ट के तहत दादरसी चाही है।

दिनांक 08.11.2010 को वादीगण ने निम्नानुसार [illegible] प्रस्तुत किया –

1. काउन्टर सूट की चरण संख्या 1 अस्वीकार है [illegible] प्रतिवादी का यह [illegible] कि उक्त खाता संख्या 181 नया 125 पुराना के खसरा नम्बर 955 रकबा [illegible] बीघा 19 बिस्वा लगान 8.49 रू. वाके ग्राम नयागांव पटवार हल्का नयागांव तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में [illegible] पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 व 8 काबीज होकर काश्त कर रहे है एवं सरकार में लगान अदा करते है उक्त कथन मनगढ़न्त व मिथ्या है। वस्तुस्थिति है कि, वादी संख्या 1 के पिता 2, 3, 4 के दादा मंगला वल्द हबला के नाम व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के दादा 3 कि पिता 4, 5, 6, 7, 8 के दादा नागजी वल्द वसीया के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:00:17 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

नाम से संयुक्त खातेदारी में व कब्जे काश्त का खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा सेटलमेंटी रेकार्ड में दर्ज है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण आधे–आधे भाग पर मौके अनुसार काबीज होकर काश्त कर रहे है एवं नामान्तरकरण संख्या 646 दिनांक 29.12.1995 से प्रतिवादीगण 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के नाम जो खाता खोला गया है जो विधि–विरूद्ध है व प्रतिवादी ने इसी के आधार पर विधि विरूद्ध काउन्टर सूट प्रस्तुत किया है जो काबील निरस्ती के है।

काउन्टर सूट की चरण संख्या 2 अस्वीकार है। प्रतिवादी 1 से 4 व 6 से 8 का ही हक व हित है व वही काबीज है उक्त कथन मनगढ़न्त व मिथ्या है प्रतिवादी का यह कथन कि, उक्त भूमि पर हम काबीज है जबकि वादी संख्या 1 से 4 व प्रतिवादी संख्या 10 से 15 का भी हक व अधिकार है एवं मौके पर वादीगण भी काबीज होकर काश्त कर रहे है।

3. काउन्टर सूट की चरण संख्या 3 अस्वीकार है। प्रतिवादी 1 से 4 व 6 से 8 का यह कथन है कि, पूर्व में खाता दादा नागजी वल्द वसीया के नाम से चला आ रहा है उक्त कथन गलत है जबकि पूर्व में सेटलमेंटी खाता वादीगण के पिता व दादा मंगलापुत्र श्री हबला व नागजी वल्द वेसिया के नाम से चला आ रहा है। प्रतिवादी 1 से 4 व 6 से 8 का यह कथन कि, वादीगण जानबुझकर से झगड़ा फसाद कर रहे है, काश्त में व्यवधान कर रहे है। असीम क्षति कर रहे है। प्रतिवादीगण का प्रथम दृष्टया बनता है, मनगढ़न्त व मिथ्या है एवं प्रतिवादी ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत काउन्टर सूट पेश किया है व कानुनन मेन्टेनेबल न होकर काबील निरस्ती के है। वादीगण का वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 8 किसी प्रकार की भी स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है।

4. काउन्टर सूट की चरण संख्या 4 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण 1 से 4 व 6 से 8 का यह कथन कि, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 से 15 ने आज दिन तक कोई काश्त नहीं की है उक्त कथन मनगढ़न्त व मिथ्या है, मौके पर वादीगण खातेदार कृषक होकर काबीज है व बंटवारा अनुसार आधे भाग पर काबीज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण का यह कथन कि, वादीगण के अधिकार धारा 63 (4) राजस्थान काश्कारी अधिनियम में समाप्त हो चुके है, उक्त कथन भी कानूनन विपरीत है। प्रतिवादीगण के एकमात्र खातेदार घोषित कराने की जो याचना की है वह भी मौके पर कब्जा व दस्तावेजात के विपरीत है, ऐसी स्थिति में काउन्टर सूटकाबील निरस्ती के है।

5. काउन्टर सूट की चरण संख्या 5 अस्वीकार है। कोई काउन्टर सूट का वाद कारण उत्पन्न नही होता है, वादीगण मौके पर काबीज होकर निरन्तर व निर्विघ्न काश्त कर रहे है एवं वादीगण का संयुक्त स्वत्व, हित, हिस्सा निहित है ऐसी स्थिति में काउन्टर सूट काबीज निरस्ती के है।

6. काउन्टर सूट की चरण संख्या 6 से 10 कानूनी है, जिसके जवाब की आवश्यकता नही है।
अतः जवाब काउन्टर सूट प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण 1 से 4 व 6 से 8 का काउन्टर सूट मय हर्जे–खर्चे के निरस्त फरमाने निवेदन किया है।

दिनांक 08.03.2011 को तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई :–

1. आया वादी संख्या 1 के पिता व 2, 3, 4 के दादा मंगला पिता हबला एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा 3 के पिता व 4, 5, 6, 7, 8 के दादा नागजी वल्द वसीया के नाम संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त का खाता संख्या 75 के खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम नवागांव में स्थित है। –वादी
2. आया प्रतिवादी संख्या 1, 2 के दादा 3 के पिता व 4, 5, 6, 7, 8 के दादा नागजी वल्द ने बिना आदेश के रेवेन्यु अधिकारीयों से मिलकर उक्त खाता At the back of the party उक्त खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा अपने खाते में दर्ज करा लिया जो अवैध होकर निरस्त योग्य है। –वादी
3. आया वादीगण खातेदार घोषित होने की पात्रता रखता है। –वादी
4. आया प्रतिवादीगण 1 से 8 पैतृक खाता संख्या 181 नया 125 पुराना के आराजी नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा पर काबीज होकर काश्त कर रहे है। –प्रतिवादी
5. आया वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 15 ने आज तक उक्त भूमि पर काश्त नही की है तथा कानूनी तौर पर धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी अधिकार का अवनाश हो चुका है। –प्रतिवादी
6. दादरसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:00:17 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने दिनांक 03.05.2011 [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 7 नियम 14 (3) व धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जिसमें बताया [illegible] है। वादी पूर्व में दस्तावेज बेचाननामा दिनांक 22.06.1990 मिस प्लेस [illegible] सकता है। उक्त दस्तावेज प्रकरण के सही निर्धारण हेतु रेकार्ड पर लेना आवश्यक है। प्रकरण प्रारम्भिक स्तर पर है एवं उसे रिबट करने हेतु प्रतिवादी को उसकी साक्ष्य का अवसर बाकी है। उक्त दस्तावेज न्यायहित में प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा वादी उचित न्याय से वंचित रह जाएगा। फर्द दस्तावेज में जमाबन्दी सेटलमेन्ट

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

008, खसरा संवत 2006 से 2009, खसरा संवत 2016, खसरा संवत 2018 से 2021, ... 011 से 2013, खसरा सवत 2022 से 2025, खसरा संवत 2025 से 2028 दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं 6 से 8 की ओर से दिनांक 30.6.2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) व धारा 151 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1, 2, 3 अस्वीकार है। उक्त दस्तावेज के सम्बन्ध में वादपत्र में किसी भी प्रकार से उल्लेख नही किया गया है एवं वाद पत्र में उक्त दस्तावेज के आधार पर वाद कारण उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त दस्तावेज मिस प्लेस हो जाना बनावटी है। दस्तावेज जो प्रस्तुत किया है वह भी कुटरचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बिना कारण के होने से आदेश 7 नियम 11 के तहत खारीज योग्य है। उक्त दस्तावेज पेश करने की समय अवधि समाप्त हो चुकी है और प्रतिवादीगण को उक्त दस्तावेज के बारे में कोई जानकारी नही है। वादी द्वारा जो दस्तावेज पेश किया गया है वह भी अपठनिय है। वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अन्य दस्तावेज पेश किये उसका हवाला प्रार्थना पत्र के साथ नही दिया है अन्य दस्तावेजो को रेकार्ड पर नही लिया जावे अर्थात कोई दस्तावेज रेकार्ड पर नही लिया जावे। यदि वादी के दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाते है तो प्रतिवादी अपने सवैधानिक अधिकार से वंचित हो जायेगा। वादी द्वारा जो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें भी वाद कारण नही बताया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 (3) का प्रार्थना पत्र खारिज करने आदेश फरमाने निवेदन किया गया। दिनांक 07.07.2012 को वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) व धारा 151 सी.पी.सी. रुपया 200/– कोस्ट पर स्वीकार किया गया।

भीखा पुत्र श्री मलिया जाति भील उम्र 45 वर्ष निवासी कालीडूंगरी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) ने दिनांक 16.07.2013 को शपथ–पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत शपथपूर्वक प्रस्तुत कर कथन किया कि मेरे पिता तथा हदू, गौतम, मगन के दादा मंगला पुत्र श्री हवला के नाम व मानेंग व राजेंग के दादा, धनजी के पिता व लालू, मकन प्रेम हुका, मीरा के दादा नागजी पुत्र श्री वसीया के नाम संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खाता संख्या 75 के खसरा नं. 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम नवागांव पटवार हल्का नवागांव सेटलमेन्ट रेकार्ड में दर्ज है व वर्तमान जमाबन्दी में भी दर्ज रेकार्ड है। जिस पर मैं भीखा, गौतम, मगन व प्रतिवादीगण 1 से 8 मानेंग वगेराह संयुक्त रूप से काबीज होकर काश्त कर रहे है एवं हमारी कब्जा काश्त मौजूद है। दोनों की वंशावली शपथ पत्र पर दर्शाई है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 8 मानेंग वगैराह के दादा व पिता नागजी पुत्र श्री वसीया द्वारा बिना किसी आदेश के रेवेन्यू अधिकारियों से मिलकर उक्त खाते के खसरा नम्बर 955 अपने खाते में दर्ज करा लिये जो काबील निरस्ती के है।

मैं नागजी पुत्र श्री वसीया की मृत्यु पर सर्वे नम्बर 955 नागजी क वारिसान धूलीया, नारजी, धनजी के नाम दर्ज रेकार्ड हुआ जबकि मौके पर हम भी काबीज है। नारजी की मृत्यु पर उसके वारिसान लालू, मकन, प्रेम, हुका मीरा व धनजी व स्व. धूलीया के वारिसान मानेंग व राजेंग के नाम दर्ज हुआ जो काबील निरस्ती के है। मौके पर मंगला पुत्र श्री हवला के वारिसान मैं हदू, गौतम व मगन सर्वे नं. 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा के आधे भाग पर काश्त कर रहे है। इसलिये मंगला के वारिसान में मैं, हदू, गौतम, मगन का प्रतिवादी संख्या 1 से 8 मानेंग वगैरहा के साथ खातेदार घोषित करने हेतु यह वाद पेश किया है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 8 मानेंग वगैरा आये दिन हमारी शान्तिपूर्ण काश्त में बाधा पहुचाते है व अगस्त 2008 में मानेंग वगैराह को ह... किया किंतु वह भडक गय व कहने लगे हम खेती करेंगें तुम्हे नही करने देगें इसलि... बाधा व नुकसान न हो इसलिये मानेंग वगैराह को स्थाई निषेधाज्ञा से रोकना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:00:17 IST
Reason: SelfAttested

सर्वे नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा के आधे भाग के हम अधिकारी है विवाद न हो व बैंक से लोन लेने हेतु हमारे आधे भाग का खाता विभाजन कर पृथक करना आवश्यक है। मैंने रेवेन्यू रिकार्ड प्रस्तुत किया है जो न्यायालय के आदेश से प्रदर्श किये जायेगें।

दिनांक 12.12.2014 को भीखा पुत्र श्री मलिया जाति भील उम्र 45 वर्ष निवासी कालीडूंगरी तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) जिरह की गई। शपथ दिलाई जाकर भीखा ने बताया कि मैंने शपथ–पत्र दिनांक 16.7.2013 को पेश किया है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। मैंने दस्तावेज पेश किये है। बेचाननामा

Scanned with CamScanner

016 प्रदर्श–4, खसरा संवत 2018 से 2021 प्रदर्श–5, खसरा संवत 2010 से 2013 प्रदर्श–6, खसरा संवत 2022 से 2025 प्रदर्श–7, खसरा संवत 2025 से 2028 प्रदर्श–8 है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 8 की ओर से जिरह की गई। जिरह में बताया कि यह बात सही है कि दावा लगाने से पूर्व तहसीलदार, कलेक्टर, पुलिस का कोई शिकायत नही की है। यह बात गलत है कि वादग्रस्त खेत पर मानेंग का परिवार ही खेती करता हो बल्कि हमारा भी कब्जा है। यह बात सही है कि पहले हमने दावा नही किया था। यह बात गलत है कि मानेंग लगान अदा कर रहा है। बल्कि मैं भी लगान अदा कर रहा हूं। लगान शामलाती भरते है। जिसकी रसीद मैने पेश की है। हमको मानेंग ने खेत खोस लेने बाबत डराया इसलिये दावा किया है। पुलिस में हमने कोई केस नही किया है। मंगला पिता हवला व नागजी पिता वसीया की अलग–अलग वंशावली है। हम मंगला के वारिस है। वादग्रस्त खेत के अलावा हमारी कोई जमीन उस गांव में नही है। प्रतिवादी संख्या 9 से 15 तक मेरे साथ नही है यह बात गलत है। यह बात सही है कि दावा पेश किया उस समय हमने बेचाननामा पेश नही किया था। बेचाननामा पर हमारे हस्ताक्षर नही है। बेचने वाले व गवाह के हस्ताक्षर है। प्रदर्श–1 में कोई खाता नम्बर व खसरा नम्बर नही लिखा है। इस जमीन के क्रम में हमारा भागझड़ा हुआ लिखा है। हमने सरकार को किसी प्रकार का नोटिस नही दिया है। यह बात गलत है कि मैने झुठा दावा पेश किया हो।

गौतम पिता पुंजा जाति भील उम्र 51 वर्ष निवासी कालीडुंगरी तहसील व जिला बांसवाड़ा ने दिनांक 06.08.2015 को अपना शपथ पत्र गवाह आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जिसमें शपथ पूर्वक बयान किया कि मेरे, मगन व भीखा के दादा हदु के पिता मंगला पिता हबला के नाम व मानेंग व राजेंग के दादा, धनजी के पिता व लालु मकन, प्रेम, हुका, मीरा के दादा नागजी पुत्र श्री वसीया के नाम संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खाता संख्या 75 के खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम नवागांव पटवार क्षैत्र नवागांव सेटलमेंट रेकार्ड में दर्ज है व वर्तमान जमाबन्दी में भी रेकार्ड है। जिस पर मै, भीखा, मगन व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 मानेंग वगैराह संयुक्त रूप से काबीज होकर काश्त कर रहे है एवं हमारी कब्जा काश्त मौजूद है दोनों की वंशावली शपथ पत्र में दर्शाइ गई है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 8 मानेंग वगैराह के दादा व पिता नागजी पुत्र श्री वसीया द्वारा बिना किसी आदेश के रेवेन्यू अधिकारी से मिलकर उक्त खाते के खसरा नं. 955 अपने खाते में दर्ज करा लिये जो काबील निरस्ती के है।

नागजी पुत्र श्री वसीया की मृत्यू पर सर्वे नं. 955 नागजी के वारिसान धुलिया, नारजी, धनजी के नाम दर्ज रेकार्ड हुआ जबकि मौके पर हम भी काबीज है। नारजी की मृत्यु पर उसके वारिसान लालू, मकन, प्रेम, हुका, मीरा व धनजी व स्व. धुलीया के वारिसान मानेंग व राजेंग के नाम दर्ज हुआ जो काबील निरस्ती के है। मौके पर मंगला पुत्र श्री हबला के वारिसान मैं, हदु, भीखा व मगन सर्वे नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा के आधे भाग पर काश्त कर रहे है। इसलिये मंगला के वारिसान मे मैं, हदु, भीखा, मगन का प्रतिवादी संख्या 1 से 8 मानेंग वगैराह के साथ खातेदार घोषित करने हेतु यह वाद पेश किया है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 8 मानेंग वगैरा आये दिन हमारे शांतिपूर्ण काश्त में बाधा पहुचाते है व अगस्त 2008 में मानेंग वगैराह को हमने हमारा नाम इन्द्राज हेतु निवेदन किया किन्तु वह भड़क गये व कहने लगे हम खेती करेगें। तुम्हे नही करने देगे इसलिये खेती में बाधा व नुकसान न हो इसलिये मानेंग वगैराह को स्थाई निषेधाज्ञा से रोकना आवष्यक है। सर्वे नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा के आधे भाग के हम अधिकारी है विवाद न हो व बैंक से लोन लेने हेतु हमारे आधे भाग का खाता पृथक करना आवश्यक है।

दिनांक 19.10.2015 को गौतम पिता पुंजा जाति भील [illegible] निवासी कालीडुंगरी तहसील व जिला बांसवाड़ा ने शपथ लेकर अपने बयान दिये कि मैने [illegible] का [illegible]–पत्र दिनांक 06.08.2015 को पेश किया है जो सही है। अपनी जिरह में बताया कि वादग्रस्त [illegible] पूर्व में हमारे पिता तथा उनके पूर्वज कमाते थे तथा वर्तमान में हम [illegible] रहे है। [illegible] भूमि के क्रम में मैने एंव अपने बाप दादाओं ने राजस्व अधिकारियों को [illegible] वादग्रस्त भूमि का सर्वे नम्बर 955 है। खाता नम्बर मुझे याद नही है। नागजी वल्द वसीया व मंगला [illegible] हमला के वारिसान अलग–अलग है। यह बात गलत है कि वादग्रस्त खेत पर प्रतिवादीगण के टापरे बने हुए हो। अज खुद कहा कि उनकी जमीन पर वे खेती करते है व हमारी जमीन पर हम खेती करते है। यह बात गलत है कि हम लगान नही देते हो। वादी व प्रतिवादी एक ही गांव के है। यह बात सही है कि वादग्रस्त भूमि के

अधिकारी (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:00:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अलावा मेरे बाप–दादाओं व प्रतिवादी के बाप–दादाओं ने अन्य जमीन नही निकाली है। उक्त खसरे के अलावा वादी व प्रतिवादी की अन्य जमीन नही है। वादग्रस्त भूमि के क्रम में पुलिस कार्यवाही हुई हो तो मुझे याद नही है। इस जमीन के अलावा मेरे नाम से कोई जमीन नही है। वादग्रस्त भूमि का मैने वाद पेष कर दिया है। मै वर्तमान में ग्राम काली डूंगरी मे रहता हूॅ। गॉव खेड़ा में भी मेरी दो बीघा जमीन है। यह बात गलत है कि मेरे राषन कार्ड, पहचान–पत्र आदि गॉव खेड़ा के बने हुए है। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि नागजी ने निकाली हो बल्कि हमारे दादा मंगला ने निकाली है। यह बात गलत है कि प्रतिवादी संख्या 9 से 15 हमारे साथ नही हो बल्कि हमारे दादा के लड़के है।

प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक 03.03.2020 से निरन्तर 15 पर्याप्त अवसर प्रदान कर अन्तिम अवसर प्रदान करने बावजुद प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर न्यायहित में दिनांक 05.02.2021 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द के आदेश दिय गये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

दिनांक 11–02–2021 को बहस सुनी गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता ने बहस में बताया कि हमारा वाद केवल आराजी नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा के संबध में है। मंगला वल्द हबला वादी के दादा व प्रतिवादी के दादा नगजी वल्द वसीया का संवत 2008 में संयुक्त खाता सेटलमेन्ट में था। नामान्तरकरण संख्या 646 दिनांक 29.12.1995 द्वारा खाता नगजी वल्द वसीया के नाम कर दिया गया। नगजी के तीन लड़के धूलीया, धनजी, नारजी है। खसरा संवत 2019–21 में हदु व भीखा जो मंगला के लड़के है उनकी काश्त दर्ज है। बेचाननामा स्टाम्प दिनांक 23.6.90 से हमने खरीद लिया है। प्रर्दश–1 है। रजिस्ट्री कर देगें फिर इन्होने रजिस्ट्री नही कराई। हम आज भी काबिज है तथा आधे भाग पर खेती क़र रहे है। अभी तक कोई बयान करने नही आये न ही उनकी तरफ से कोई Evedense नही आई है। खातेदार घोषत कर आधे भाग का बटवारा कराने निवेदन है। अतः हमारे पक्ष में आधे भाग की डिक्री करवाए।

प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर एवं बहस पर गहनता से अध्ययन एवं मनन किया तो तनकीवार निम्नानुसार निर्णित की गई :–

1. वादी संख्या 1 के पिता व 2, 3, 4 के दादा मंगला पिता हबला एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा 3 के पिता व 4, 5, 6, 7, 8 के दादा नागजी वल्द वसीया के नाम संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त का खाता संख्या 75 के खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम नवागांव में स्थित है। तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भाग वादी कि जिम्मे था। मंगला वल्द हबला वादी के दादा व प्रतिवादी के दादा नगजी वल्द वसीया का संवत 2008 में संयुक्त खाता सेटलमेन्ट में था। जिससे संयुक्त खाता काश्त जाहिर हो रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त खातेदार नही होने बावत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। अतः तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
2. आया प्रतिवादी संख्या 1, 2 के दादा 3 के पिता व 4, 5, 6, 7, 8 के दादा नागजी वल्द ने बिना आदेश के रेवेन्यु अधिकारीयों से मिलकर उक्त खाता At the back of the party उक्त खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा अपने खाते में दर्ज करा लिया जो अवैध होकर निरस्त योग्य है। तनकी नम्बर 2 सिद्ध करने का भार वादी के जिम्मे था। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों में आदेश की प्रति संलग्न नही है। किन्तु सेटलमेन्ट रेकार्ड में संयुक्त खातेदार थे। भूमि पैतृक थी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नही किया गया जिससे जाहिर हो की भूमि प्रतिवादीगण के नाम भूमि दर्ज की गई है। अतः तनकी नम्बर 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
3. आया वादीगण खातेदार घोषित होने की पात्रता रखता [illegible] तनकी नम्बर 1, 2 वादी के पक्ष में निर्णित योग्य होने से निर्णित होने से तनकी संख्या 3 स्वतः वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
4. आया प्रतिवादीगण 1 से 8 पैतृक खाता संख्या 125 पुराना के आराजी नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा पर काबीज होकर काश्त कर रहे है। तनकी संख्या 4 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को था। प्रतिवादीगण द्वारा कोई आदेश, गवाहान एवं कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये एवं बहस में उपस्थित होकर पैरवी नही की गई। यह बात सही है कि भूमि पैतृक है। अतः तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:00:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

आया वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 15 ने आज तक उक्त भूमि पर काश्त नही की है तथा कानूनी तौर पर धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी अधिकार का अवनाश हो चुका है। तनकी संख्या 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को था। किन्तु तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित होने से तनकी संख्या स्वतः विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित योग्य होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर एवं बहस के आधार पर सेटलमेन्ट के समय में मंगला द हबला वादी के दादा व प्रतिवादी के दादा नगजी वल्द वरीया का संवत 2008 में संयुक्त खाता टलमेन्ट में था। खसरा संवत 2019–21 में हदु व भीखा जो मंगला के लड़के है उनकी काश्त दर्ज है। गाहान ने भी अपने बयानों में मौक पर मंगला पुत्र श्री हबला के वारिसान गौतम, हदु, भीखा व मगन सर्वे म्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा के आधे भाग पर काश्त करना बताया है। प्रतिवादीगण को प्रतिवादी ाक्ष्य प्रस्तुत करने पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही करने से नियमानुसार यायहित में साक्ष्यप्रतिवादी बन्द के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता बहस हेतु नियत देनांक को उपस्थित नही रहे है। प्रथम दृष्टया वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है । अतः खाता संख्या 181 नया व 125 पुराना के खसरा नम्बर 955 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा लगान 8.49 रू. वाके ग्राम नवागांव पटवार हल्का नवागांव तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 8 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खसरा की कृषि भूमि का विभाजन व लगान का विभाजन उनके 1/2 हिस्से अनुसार किया जावे। तद्अनुसार तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 8 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के शांतिपूर्ण काश्त में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न न करे नही अन्य किसी से करावे। तद्अनुसार तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा राजस्व रकार्ड में अमल दरामद करे।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15–03–2021 को सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:00:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner